

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जांच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	वन मंडल अधिकारी अशोकनगर/शिवपुरी एवं मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले में लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना (केन-बेतवा लिंक परियोजना) के निर्माण हेतु 968.24 हेक्टेयर वन भूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, भोपाल को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 17.03.2016

स्थान: भोपाल


17.3.16
मु.व.सं. (भू-प्र.)
म.प्र., भोपाल